राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2161/2011..................जिला........जयपुर...

उनवान सुरभि एन आर्ट, जयपुर बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हु
16.04.2015	**<u>एकलपीठ</u>** **<u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u>** अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.औझा उपस्थित। अपीलार्थी प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी प्रोपराइटर ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते है, एवं विवादित राशि जमा करवा दी है इस हेतु अपीलार्थी प्रोपराइटर प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है। इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप अपीलार्थी प्रोपराइटर के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 2161/2011/जयपुर को **विद्ड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विदड्रा खारीज की जाती है। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **(मनोहर पुरी)** **सदस्य**	